	नहीं है, पत्रावली वास्ते बहस दि. 25 [illegible] पेश हो।
25.9.24	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप० बहस अधिवक्तागण सुनी गई, जिनके द्वारा अपनी बहस में बार कथन के विरुद्ध की बोलताला, तदुपरान्त पत्रावली का सावधानी से अवलोकन किया गया। पत्रावली

नवान .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... हुक्म की ...
	का आवेदन पत्र इकबाली कथन मिल जाने तक कार्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का इकबाली कथन करने का जुर्म को स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखकर जारी शा-पत्र किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

-:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::-

बईजलास रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

मिसल न0-40/2024

बउनवान

वीरेन्द्र सिंह उम्र वर्ष पुत्र नारायण सिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम खरखनाखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। -वादी-

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
2. जसराज सिंह पुत्र रामनाथ सिंह जाति राव राजपूत
3. भंवरबाई पत्नी स्व0 नारायण सिंह जाति राव राजपूत
4. मोहनसिंह पुत्र रामनाथ सिंह जाति राव राजपूत
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राव राजपूत

निवासीगण ग्राम खरखनाखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

-प्रतिवादीगण-

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

उपस्थितिः-

वादीनी की ओर से :- श्री दशरथ सिंह एडवोकेट

प्रतिवादीन01की ओर से :- पैरोकार सरकार

प्रतिवादीन02ता5की ओर से :- श्री धर्मराज नायक एडवोकेट

-:: निर्णय ::- दिनांकः-25/9/2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी न02ता5 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम खरखनाखेडी पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 72 के खसरा न0 318/372 की 0.41हेक्टर, खसरा न0 340 की 0.75हेक्टर, खसरा न0353 की 0.30हेक्टर, खसरा न037 की 1.10हेक्टर, खसरा न042 की 0.14हेक्टर, खसरा न043 की 0.49हेक्टर कुल किता 6 की कुल 3.19हेक्टर आराजी स्थित है, उक्त आराजी मे वादी का 1/9 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वाद पत्र की मद न01 मे वर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी अपने हिस्से की आराजी को आपसी सहमति से मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है, तथा वर्तमान मे भी वादी ने अपने हिस्से की आराजी को हांक जोत कर फसल बो रखी है। वादी द्वारा अपने हिस्से की आराजी पर विकास कार्य करवाने के लिए राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त की, तो वादी की जानकारी

2....

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

मे आया, कि उक्त वादग्रस्त आराजी मे वादी का घर का बोलता नाम शैतान सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज हो रहा है, तथा वादी द्वारा अपना नाम शैतान सिंह होने से वादी को अपने हिस्से की आराजी पर कृषि ऋण आदि प्राप्त करने व सरकार से मिलने वाली सहायता से भी वंचित होना पड रहा है।साथ ही वादी ने आगे कथन किया कि वीरेन्द्र सिंह व शैतान सिंह दोनो नाम मुझ वादी के ही है, वादी का वास्तविक नाम वीरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह है, जिसकी पुष्टि वादी के आधार कार्ड ,व अन्य पहचान के दस्तावेजो से होती है, सभी मे वादी का नाम वीरेन्द्र सिंह अंकित है, वादी द्वारा अपने पहचान के दस्तावेजो के आधार पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज घर का बोलता नाम शैतान सिंह को दुरस्त करने हेतु पटवारी हल्का महोदय से निवेदन किया, तो उनके द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने से वादी के लिए माननीय न्यायालय मे उक्त आदेश लाने की कहने से माननीय न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वादीा का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई, तथा प्रतिवादी न02ता5 की ओर से वकील श्री धर्मराज नायक द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया, तथा प्रतिवादीन02ता5 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादी के साथ का समर्थन करते हुए स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है, तथा राजहित प्रभावित नही होने से प्रतिवादी न01 पैरोकार सरकार का जवाब दिया जाना आवश्यक नही है,।

पत्रावली बहस वादी मे नियत की गई, जिसमे वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे वाद पत्र के बिन्दुओ को दौहराया तथा बहस वादी सुनी गई, तदुपरान्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया, पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया जाने से हम उक्त वाद को स्वीकार किया जाने योग्य उचित समझते है, जिससे वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है, तथा आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम खरखनाखेडी पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 72 के खसरा न0 318/372 की 0.41हेक्टर,खसरा न0 340 की 0.75हेक्टर, खसरा न0353 की 0.30हेक्टर, खसरा न037 की 1.10हेक्टर, खसरा न042 की 0.14 हेक्टर, खसरा न043 की 0.49हेक्टर कुल किता 6 की कुल 3.19 हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज वादी के बोलते नाम शैतान सिंह के स्थान पर वीरेन्द्र सिंह दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे

3....

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्त कर शैतान सिंह के स्थान पर वीरेन्द्र सिंह दर्ज कर दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। नियमानुसार डिकी पर्चा प्रथक से जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(रामावतार मीना)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

निर्णय आज दिनांक 25/9/2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner